(क) वर्ष 2008 से लेकर अब तक अवैध मानव व्यापार का शिकार हुए बच्चों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) अवैध मानव व्यापार के शिकार हुए उपर्युक्त बच्चों में से कितने बच्चों को मुक्त कराया गया; और

(ग) अवैध बाल-व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अवैध बाल व्यापार के अलग से केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कानून के विभिन्न प्रावधानों के अधीन पंजीकृत ऐसे मामलों की कुल संख्या, जो व्यापक रूप से अवैध मानव व्यापार के अन्तर्गत आते हैं, वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान क्रमश: 3030, 2848 और 3422 थी। राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र वार ब्यौरे अनुबंध-। में दिए गए हैं।**

**(ग): ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय होने की वजह से, मानव व्यापार के अपराध को रोकने और उसका सामना करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार ने अवैध मानव व्यापार से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में अवैध व्यापार रोधी नोडल सेल स्थापित करके, गृह मंत्रालय की भागीदारी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्‍वविद्यालय (इग्नु) द्वारा अवैध मानव व्यापार रोधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरु करके और स्वीकृत अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों के स्थापना के माध्यम से सुदृढ़ता से कानून लागू करने हेतु विस्तृत स्कीम कार्यान्वित करके और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 में 115 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु 8.72 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। 104 इकाइयाँ पहले ही स्थापित कर दी गई है। 110 और अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2011-12 में 8.338 करोड़ रूपए जारी कए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी अवैध व्यापार से पीड़ित महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों से जूझने वाली महिलाओं के लिए लघु अवधि आवास (शार्ट-स्टे-होम), स्वाधर होम जैसे आश्रय आधारित होम चला रहा है।**

**अनुलग्नक-I**

**वर्ष 2008-2010 के दौरान अवैध मानव व्यापार अपराध के अन्तर्गत किए गए *के प्रति कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले(सीआर),आरोपपत्रित मामले,(सीएस),दोषसिद्ध मामले(सीवी),गिरफ्तार व्यक्ति(पीएआर),आरोप-पत्रित व्यक्ति(पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रसं.** | | **राज्य/संघराज्य क्षेत्र** | | **2008** | | | | | | **2009** | | | | | | **2010** | | | | | | |
| **सीआर** | **सीएस** | **सीवी** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** | **सीआर** | **सीएस** | **सीवी** | **पीएआर** | **पीसीएस** | **पीसीवी** | **सीआर** | **सीएस** | **सीवी** | **पीएआर** | | **पीसीएस** | **पीसीवी** |
| 1 | | आन्ध्र प्रदेश | | 408 | 420 | 77 | 1257 | 1340 | 251 | 309 | 321 | 218 | 1070 | 1119 | 200 | 633 | 506 | 79 | 1449 | | 1389 | 163 |
| 2 | | अरुणाचल प्रदेश | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | | असम | | 27 | 25 | 10 | 62 | 90 | 17 | 38 | 18 | 0 | 62 | 37 | 0 | 103 | 32 | 2 | 127 | | 49 | 4 |
| 4 | | बिहार | | 106 | 88 | 14 | 189 | 156 | 21 | 129 | 65 | 11 | 161 | 133 | 24 | 184 | 95 | 11 | 179 | | 156 | 14 |
| 5 | | छत्तीसगढ़ | | 8 | 8 | 1 | 18 | 18 | 3 | 14 | 13 | 1 | 49 | 42 | 3 | 25 | 23 | 8 | 79 | | 80 | 15 |
| 6 | | गोवा | | 14 | 12 | 12 | 42 | 34 | 43 | 23 | 19 | 10 | 73 | 44 | 17 | 17 | 14 | 0 | 50 | | 36 | 0 |
| 7 | | गुजरात | | 59 | 55 | 3 | 214 | 209 | 5 | 44 | 39 | 1 | 202 | 192 | 10 | 46 | 46 | 2 | 157 | | 157 | 4 |
| 8 | | हरियाणा | | 77 | 81 | 21 | 361 | 360 | 117 | 90 | 83 | 19 | 391 | 375 | 93 | 57 | 57 | 28 | 226 | | 233 | 94 |
| 9 | | हिमाचल प्रदेश | | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 29 | 41 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | | 14 | 0 |
| 10 | | जम्मू और कश्मीर | | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | | झारखंड | | 66 | 42 | 5 | 142 | 122 | 13 | 7 | 20 | 10 | 66 | 46 | 22 | 46 | 38 | 5 | 63 | | 70 | 12 |
| 12 | | कर्नाटक | | 521 | 518 | 215 | 1671 | 1657 | 575 | 336 | 319 | 150 | 1341 | 1243 | 322 | 263 | 258 | 264 | 954 | | 1034 | 359 |
| 13 | | केरल | | 200 | 208 | 134 | 438 | 518 | 197 | 328 | 331 | 182 | 666 | 654 | 248 | 315 | 341 | 217 | 586 | | 643 | 274 |
| 14 | | मध्य प्रदेश | | 30 | 22 | 5 | 78 | 61 | 3 | 22 | 24 | 7 | 82 | 99 | 9 | 44 | 37 | 15 | 144 | | 137 | 15 |
| 15 | | महाराष्ट्र | | 366 | 346 | 62 | 1470 | 1296 | 144 | 344 | 386 | 92 | 1537 | 1744 | 200 | 360 | 376 | 78 | 1096 | | 1124 | 176 |
| 16 | | मणिपुर | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | | मेघालय | | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | | 4 | 0 |
| 18 | | मिजोरम | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 |
| 19 | | नागालैंड | | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4 | 15 | | 12 | 1 |
| 20 | | उड़ीसा | | 29 | 36 | 3 | 107 | 82 | 15 | 15 | 16 | 3 | 57 | 56 | 7 | 34 | 31 | 4 | 110 | | 149 | 7 |
| 21 | | पंजाब | | 43 | 45 | 12 | 168 | 157 | 28 | 62 | 50 | 11 | 234 | 183 | 38 | 60 | 56 | 15 | 291 | | 257 | 68 |
| 22 | | राजस्थान | | 72 | 70 | 65 | 253 | 253 | 41 | 63 | 60 | 21 | 216 | 213 | 107 | 96 | 93 | 16 | 312 | | 315 | 31 |
| 23 | | सिक्किम | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | | 1 | 0 |
| 24 | | तमिलनाडु | | 688 | 732 | 809 | 1280 | 1207 | 1032 | 716 | 718 | 463 | 1269 | 1403 | 820 | 580 | 576 | 316 | 921 | | 931 | 669 |
| 25 | | त्रिपुरा | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 4 | 29 | 8 | 4 | 33 | 17 | 0 | 19 | | 18 | 0 |
| 26 | | उत्तर प्रदेश | | 57 | 47 | 37 | 383 | 375 | 276 | 39 | 37 | 21 | 201 | 186 | 176 | 23 | 21 | 28 | 119 | | 97 | 201 |
| 27 | | उत्तराखंड | | 5 | 5 | 6 | 22 | 28 | 20 | 6 | 5 | 5 | 29 | 39 | 9 | 4 | 4 | 11 | 27 | | 27 | 29 |
| 28 | | पश्चिम बंगाल | | 163 | 116 | 12 | 303 | 244 | 20 | 160 | 86 | 9 | 295 | 216 | 17 | 427 | 216 | 15 | 634 | | 361 | 46 |
|  | | **कुल राज्य** | | **2951** | **2884** | **1505** | **8506** | **8222** | **2823** | **2800** | **2651** | **1244** | **8110** | **8116** | **2345** | **3366** | **2847** | **1119** | **7588** | | **7295** | **2183** |
| 29 | | अं.औरनि. द्वीपसमूह | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | | 1 | 0 |
| 30 | | चंडीगढ़ | | 7 | 2 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | | 18 | 0 |
| 31 | | दादरा और नगर हवेली | | 3 | 4 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | | 8 | 0 |
| 32 | | दमण और द्वीव | | 6 | 6 | 0 | 30 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 42 | | 35 | 0 |
| 33 | | दिल्ली संघ शासित | | 60 | 50 | 40 | 162 | 289 | 119 | 30 | 34 | 31 | 79 | 107 | 80 | 32 | 39 | 32 | 100 | | 105 | 84 |
| 34 | | लक्षद्वीप | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | | पुडुचेरी | | 3 | 3 | 1 | 19 | 19 | 7 | 9 | 9 | 3 | 32 | 32 | 12 | 11 | 11 | 8 | 37 | | 37 | 25 |
|  | | **कुल संघ शासित** | | **79** | **66** | **41** | **268** | **381** | **126** | **48** | **52** | **35** | **154** | **191** | **93** | **56** | **62** | **40** | **215** | | **204** | **109** |
|  | | **कुल अखिल भारत** | | **3030** | **2950** | **1546** | **8774** | **8603** | **2949** | **2848** | **2703** | **1279** | **8264** | **8307** | **2438** | **3422** | **2909** | **1159** | **7803** | | **7499** | **2292** |
| *स्रोत: भारत में अपराध* | | *नोट:- पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।* | | | | | | | | | | | | | | | | |

\* अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम+लड़कियों का आयात+नाबालिग लड़कियों की खरीद+वेश्यावृति के लिए लड़कियों की खरीद+वेश्यावृति केलिए लड़कियों की बिक्री शीर्षक शामिल है।

\* कर्नाटक राज्‍य ने वर्ष 2008 के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम से संम्बाधिक आंकड़ों में वर्ष 2011 में परिवर्तन कर दिया।